International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
e-ISSN :2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 01(II), January - March, 2026, pp. 218-225

महिला उद्यमियों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मनीष शुक्ला[1] | शालिनी श्रीवास्तव[2*]

[1]प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)।
[2]शोधार्थी (वाणिज्य), शासकीय टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)।

[*]Corresponding Author: shrivastvashalinee2@gmail.com

Citation: शुक्ला, मनीष एवं श्रीवास्तव, शालिनी (2026). महिला उद्यमियों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में). International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(01(II)), 218–225. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.1(II).8824

सार

''भारत की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिला का स्थान एवं कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित है, किन्तु आदिकाल से ही वह पुरुषों से आवश्यकता पड़ने पर पीछे नहीं रही। यह सर्वमान्य तथ्य है कि कोई भी देश उपलब्ध मानव संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके ही आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चूकिं मानव का आधा भाग महिलाएं होती है। इसलिये कोई राष्ट महिलाओं की सहभागिता के बिना आर्थिक विकास का सपना पूरा नही कर सकता है। इसलिये प्रत्येक राष्ट में आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहित करने में महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। विकसित देशों में महिलाओं पुरुषों के साथ बना भेदभाव के कार्य करती रहती है, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में प्रयासरत है। शिक्षा प्रशिक्षण एवं आवश्यक दिशा निर्देश जैसे–जैसे महिलाओं में विकसित हो रहा है। क्रमशः कृषि, पशुपालन के अतिरिक्त औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों में भी महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ी है।''

शब्दकोशः *महिला उद्यमी, आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति।*

प्रस्तावना

महिलाओं में समानता की भावना विकसित करने एवं चेतना जागृत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा की गई। आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे महिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है। फिर भी भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की आकांक्षाओं को सामाजिक बंधन के कारण साकार रूप नहीं मिल सका है। आर्थिक तंगी के कारण महिलाओं को मानसिक श्रम के अलावा शारीरिक श्रम भी करने को बाध्य होना पड़ता है, जिसके लिये उनकी अशिक्षा, प्रशिक्षण और दिशा निर्देश का अभाव है। अंततः महिलायें कई तरह के शारीरिक श्रम कार्य जैसे कि भवन निर्माण कार्य में बतौर उद्यमी कार्य करने के लिये विवश होती है, जिसके लिये पढ़ाई और योग्यता की जरूरत नहीं होती है। महिला उद्यमियों के श्रम को कई तत्व प्रभावित करते हैं। जिसका प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर पड़ता स्वाभाविक है। महिला उद्यमियों को कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता है, जिसमें कई कठिनाइयाँ आती है। भारतीय समाज

[*] *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

में महिला–पुरुष दोनों को समान दर्जा प्राप्त है, फिर भी पढ़ी–लिखी व स्वावलम्बी महिला को न तो भारतीय समाज ने बराबरी का दर्जा दिया है और न स्वयं महिला को खुद को बराबर समझने की मानसिकता बन पाई है।

भारत सरकार ने महिला उद्यमिता को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि महिला के अधिपत्य एवं नियंत्रण वाली कोई भी संस्था जिसका कम से कम पूंजी का 51 प्रतिशत लाभ महिला को प्राप्त हो तथा संस्था द्वारा उपलब्ध रोजगार का 51 प्रतिशत महिलाओं को प्राप्त हो तो इस संस्था को महिला उद्यमिता से संबंधित माना जा सकता है। महिलाएं परिवार की धुरी होती है, उन्हे आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करने और विकास में हिस्सेदारी बनाये रखने के लिये उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करना अंत्यत आवश्यक है उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता निश्चित रूप में भारत के औद्योगिक व आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1ए210ए854ए977 है इसमें महिलाओं की जनसंख्या करीब 58.65 करोड़ है। म.प्र. की कुल जनसंख्या 72ए626ए809 है जिसमें महिलाएं 35ए014ए503 है। महिलाओं की इस विशाल जनसंख्या को अनदेखा कर देश एवं प्रदेश के आर्थिक समृद्धि की कल्पना नही की जा सकती है। मानवीय संसाधन के इस बडे भाग को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक हर दृष्टि से समर्थ करके ही विकास के लक्ष्यों को पाया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 59.24 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। यह आंकडा 1971 में 22 प्रतिशत तथा 1991 में 39 प्रतिशत था। 31 महिलाएं 2008 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये चुनी गई जबकि 2007 में यह आंकडा 18 प्रतिशत तक सीमित था। 2014 में हुये आम चुनाव में 12.15 प्रतिशत महिलाएं बतौर सांसद चुनी गई। अब तक चुनी गई महिला सांसदो में 66 महिला सांसद की यह सबसे बड़ी संख्या है। आज महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में अपने को साबित कर रही है। आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये एवं देश के आर्थिक विकास के लिये महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक हो गई है सरकार महिलाओं के प्रोत्साहन के लिये समय–समय पर विशेष योजनायें भी बनाती है।

''महिलाओं की सृजनात्मक ऊर्जा विभिन्न सहायता व प्रेरणात्मक योजनाओं से आर्थिक विकास की नई दिशा का दिग्दर्शन कराती है।'' महिलाओं के लिये विशिष्ट प्रेरणायें व योजना महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुये तथा महिलाओं की उद्योग/स्वरोजगार के क्षेत्र में अधिकाधिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा केवल महिलाओं हेतु कुछ विशिष्ट योजनायें प्रतिपादित की जाती है। प्रेरणात्मक मार्गदर्शन सहायता तथा अनुदान कार्यक्रमों से बदलाव भी आया है।

उद्देश्य एवं उपयोगिता

उद्यमी महिलाओं के शोषण की जिम्मेदारी हमारे समाज की है और यदि समाज उनकी समस्याओं को ध्यान दे, तो यह भी सम्मानपूर्वक, अधिकार पूर्ण जीवन जी सकती है। भारत में अनेक कानूनी प्रावधान है, फिर भी उद्यमी महिलाओं के शोषण की चर्चाएं गोष्ठी एवं पत्र– पत्रिकाओं में होती है। महिला उद्यमियों का आर्थिक, शारीरिक शोषण न होने पाये, इसके लिये इतने कानून बने हैं, फिर भी महिलाओं के श्रम शोषण की प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, पुरुष उद्यमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर से डद्यमी महिलायें भी कार्य करती हैं। आजकल भवन निर्माण का कार्य निरन्तर हो रहा है, जिसमें अनेक ग्रामीण महिलायें कार्यरत हैं। डद्यमी महिलाओं को भवन निर्माण जैसे कठिन काय में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन डद्यमी महिलाओं का शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक, शोषण निरन्तर हो रहा है और इनकी समस्याओं को कोई न सुनने वाला है और न ही समस्याओं का समाधान करने वाला है। इन्हें किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है। इन उपरोक्त पक्षों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत अध्ययन उद्देश्य इस प्रकार निश्चित किया गया है–

- आयु एवं शिक्षा के आधार पर महिला उद्यमियों की समस्याओं का अध्ययन करना।
- महिला उद्यमियों की विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना।

- आयु एवं शिक्षा के आधार पर तनाव एवं जोखिम प्रबंधन का अध्ययन करना।
- उद्यमी महिलाओं पर हो रहे शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक शोषण का अध्ययन करना।
- महिला उद्यमियों के समाज में स्थान का एवं परिवार में स्थान का अध्ययन करना।
- महिला उद्यमियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- महिला उद्यमियों को जागरूक कर समाज में बराबरी के दर्जे में खड़ा करना आदि।

पूर्व शोध की समीक्षा

ग्रीन कार्टर, नैंसी एम. (2003) ने महिला उद्यमिता के क्षेत्र में हुए अनुसंधान एवं प्रका ानों का मूल्यांकन किया। अध्ययन में विभिन्न अध्ययनों एवं प्रका ानों को महिला उद्यमिता से संबंधित कुछ मापदंड जैसे लिंग भेदभाव, व्यक्तिगत वि ो शताएं, वित्तीय समस्याओं , व्यापार इकाई एवं नारीवादी दृश्टिको ण के आधार पर वर्गीकृत किया।

गणेशन एस. (2003) तमिलनाडु राज्य के 10 जिलों में पंजीकृत 124 महिला उद्यमियों के स्तर का अध्ययन किया। अध्ययन में यह पाया गया कि न्याद ा महिला उद्यमियों में 94.4 प्रति ात एकल स्वामित्व, 70. 2 प्रति ात 26 से 45 वर्श आयु समूह, 71.8 प्रति ात एकल परिवार, 87.1 प्रति ात विवाहित एवं 83 से 90 प्रति ात स्कूल स्तर तक ि ाक्षा प्राप्त थी। अध्ययन के उपरान्त यह सुझाव दिया कि जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिले में कु ाल व बेरोजगार महिलाओं को उद्यम स्थापना के लिये प्रेरित किया जाये।

लाल व सहाय (2008) ने महिला उद्यमिता एवं घरेलू व्यवसाय के संदर्भ में बहुआयामी घटकों एवं चुनौतियों का तुलनात्मक वि लेशण किया। अध्ययन हेतु लखनऊ भाहर में कार्यरत महिला उद्यमियों का चयन स्तरीय निद ान पद्धति द्वारा किया। अध्ययन में पाया किये महिलाएं आत्मवि वास से पूर्ण, उद्यमीय प्रकृति से युक्त थीं तथा सुझाव दिया कि यद्यपि घरेलू व्यवसाय में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, किन्तु फिर भी अभी इनकी स्थिति निम्न है तथा इन्हें पुरूशों की तुलना में अधिक चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

एंटोनी, एस. वर्गिस (2011) ने अपने अध्ययन में पाया कि उद्यमिता विकास में पति, पिता या पारिवारिक सदस्यों की प्रेरणा काफी सहायक हो सकती है तथा पति एवं पिता उद्यमिता हेतु प्रमुख प्रेरक घटक रहे है। उन्हें महिला उद्यमियों की क्षमता पर वि वास हो ने पर उनके दृश्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है।

उषा किरण वी. (2012) ने हैदराबाद की 60 महिला उद्यमियों के प्रेरक घटकों , समस्याओं व चुनौतियों का अध्ययन किया तथा अध्ययन में यह पाया कि सर्वाधिक 50 प्रति ात महिलाएं स्वप्रेरित हो कर उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवे ा करती हैं। 93 प्रति ात महिलाओं को परिवार एवं कार्यक्षेत्र के मध्य गतिरोध की समस्या थी। मुख्य चुनौतियों के रूप में 39 प्रति ात महिलाओं को बाजार एवं 7 प्रति ात महिलाओं को पर्याप्त जानकारी का अभाव एवं उत्पादन लागत वृद्धि का सामना करना पड़ा। अध्ययन के अंत में यह सुझाव दिया कि सरकार एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा एकल खिड़की योजना के माध्यम से अधिक से अधिक सुविधा दी जानी चाहिए।

अध्ययन पद्धति

ज्ञान के क्षेत्र में शोधकार्य अपरिहार्य है। वर्तमान युग में शोध का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण एवं सत्यापन शोध के द्वारा ही किया जा सकता है।

शोध कार्य में महिला उद्यमियों से संबंधित वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों के एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आंकड़े स्वंय कार्य स्थल पर जाकर मूल स्त्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े विभिन्न प्रकाशित अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

उपकल्पना का निर्माण

चिंतन और जिज्ञासा मानव की दो, मूल प्रवृत्तियां हैं और इसके वैज्ञानिक आधार केन्द्र बिन्दु भी हैं उपकल्पना सामाजिक शोध की प्रथम सीढ़ी है। शोध कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शोध के कारणों समस्याओं के सामाधान एवं परिणाम के बारे में हम जो एक निश्चित रूपरेखा बना लेते हैं उसे उपकल्पना कहते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में परीक्षण के लिए निम्न उपकल्पनाओं का पालन किया गया है–

- शिक्षित महिला उद्यमियों की अपेक्षा साक्षर उद्यमियों को अधिक समस्याएं है।
- अत्यधिक सदस्य होने के कारण मूलभूत सुविधा में जुटाने की समस्या है।
- महिला उद्यमियो शिक्षा, प्रशिक्षण तथा दिशा–निर्देश की कमी है।
- महिला उद्यमियो के तनाव प्रबंध और जनसांख्यिकी चरों के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।
- महिला उद्यमियो के प्रति परिवार और समाज का सहयोगात्मक दृष्टिकोण नहीं होता है।

अध्ययन क्षेत्र

चूँकि शोधार्थी का अध्ययन क्षेत्र रीवा जिले को लिया गया है।रीवा जिले में उत्खनन के कारण घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2ए228ए935 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 1ए157ए495 तथा महिलाओं की संख्या 1ए071ए440 है। रीवा जिले में जनसंख्या का घनत्व 297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले की साक्षरता प्रतिशत 72ण्26 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित है जिसमें पुरूष का साक्षरता प्रतिशत 81ण्37एवं महिलाओ का साक्षरता प्रतिशत 62ण्45 है। रीवा जिले की 50 महिला उद्यमियों का चयन उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है।

आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन

शोध द्वारा तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और सांख्यिकी विश्लेषण किया गया है–

तलिका 1: महिला उद्यमियों के कार्य

क्र.	महिला उद्यमी के कार्य	संख्या	प्रतिशत
1.	भवन निर्माण	15	30
2.	सड़क निर्माण	10	20
3.	लघु एवं कुटीर उद्योग	25	50
	योग–	**50**	**100**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत महिलायें लघु एवं कुटीर उद्योग में 30 भवन निर्माण के कार्य में व 20 प्रतिशत महिलायें सड़क निर्माण के कार्य में कार्यरत हैं। ज्यादातर महिलाएँ लघु एवं कुटीर उद्योग में इसलिये संलग्न रहती है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों की तुलना में आय ज्यादा प्राप्त होती है।

तलिका 2: परिवार का स्वरूप

क्र.	परिवार का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1.	संयुक्त	15	30
2.	एकल	35	70
	योग–	**50**	**100**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल 30 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार है, शेष 70 प्रतिशत महिला उद्यमियों के परिवार एकाकी है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में आकर कार्य करती हैं जिसके कारण एकाकी परिवार ज्यादा पाये गये।

तलिका 3: परिवार में महिला उद्यमियों का स्थान

क्र.	परिवार में स्थान	संख्या	प्रतिशत
1.	उच्च स्थान	25	50
2.	मध्यम	15	30
3.	निम्न	10	20
	योग–	**50**	**100**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 30 प्रतिशत महिला उद्यमियों का परिवार में उच्च स्थान है। 20 प्रतिशत महिला उद्यमियों का मध्यम तथा 50 प्रतिशत महिला उद्यमियों का स्थान परिवार में निम्न है।

तलिका 4: महिला उद्यमियों की वैवाहिक स्थिति

क्र.	वैवाहिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	25	50
2.	अविवाहित	15	30
3.	विधवा	10	20
	योग–	**50**	**100**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत महिला उद्यमी विवाहित है तथा 30 प्रतिशत अविवाहित है और विधवा महिला उद्यमियों का प्रतिशत 20 है। अतः स्पष्ट है कि महिला उद्यमियों में विवाहित महिला उद्यमियों का प्रतिशत सबसे अधिक है।

तलिका 5: परिवार की आर्थिक स्थिति

क्र.	आर्थिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	अच्छी	15	30
2.	खराब	25	50
3.	सामान्य	10	20
	योग–	**50**	**100**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि परिवारों की आर्थिक स्थिति में 30 प्रतिशत अच्छी, 50 प्रतिशत खराब तथा 20 प्रतिशत सामान्य आर्थिक स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं अतः स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत महिलायें आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण डद्यमी बन गये।

तलिका 6: महिलाओं का समाज में पुरुषों के बराबरी के अधिकार के पक्ष में विचार

क्र.	विचार	संख्या	प्रतिशत
1.	सहमत	25	50
2.	असहमत	15	30
3.	कोई वक्तव्य नहीं	10	20
	योग–	**50**	**100**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिला उद्यमी पुरुषों के बराबरी में अपने आपको खड़ा करना चाहती है, अध्ययन में 50 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी सहमति जताई शेष 50 प्रतिशत में 30 प्रतिशत असहमति जताई और शेष 20 प्रतिशत महिलाओं ने कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

रीवा जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्थिति

प्रदेश के अन्य जिलों की भॉति रीवा जिले में भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 1 अप्रैल 2008 से संचालित है। यह वास्तव में 31.03.2008 तक दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का मिश्रित स्वरूप है।

सारणी 7: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की लक्ष्य एवं पूर्ति

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5
2018.19	**40**	**148.20**	**30**	**135.91**
2019.20	42	158.80	39	162.10
2020.21	35	149.00	30	169.59
2021.22	39	193.10	34	188.19
2022.23	72	191.85	80	143.42
योग	**228**	**840.95**	**213**	**799.21**

स्त्रोत – जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा (म.प्र.)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी विगत पॉच वर्षो के दौरान 226 में 213 हितग्राहियों द्वारा उद्यमिता सम्बन्धी लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा के माध्यम से स्थापित कर चुके है। जिनमें से 799.21 लाख रूपये की आर्थिक मदद बैंकों के माध्यम से प्रदाय की जा चुकी है। विगत पॉच वर्षो की लक्ष्य प्राप्ति को यदि देखा जाय तो अभी तक निर्धारित भौतिक लक्ष्यों में से 65.92 प्रतिशत औसत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। इसी प्रकार वित्तीय प्रतिपूर्ति की लक्ष्य 95.03 रहा है।

दीन दयाल रोजगार योजना

योजना का उद्देश्य

उद्योग सेवा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में केवल नवीन इकाइयों/गतिविधियों के माध्यम से उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से लक्ष्य निश्चित कर ऋण उपलब्ध कराना एवं मार्जिन मनी की सहायता अनुदान के रूप में देना।

सारणी 8

क्र.	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक	वित्तीय (रू. लाख मे)	भौतिक	वित्तीय (रू. लाख मे)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	2018.19	181	28.72	52	28.72
2.	2019.20	160	6.89	70	6.89
3.	2020.21	84	7.80	84	7.80
4.	2021.22	84	4.97	80	4.97
5.	2022.23	70	2.43	31	2.43
	योग	579	50.81	1317	50.81

प्राप्त पाँच वर्षो के आकड़ो से स्पष्ट है कि शासन द्वारा जिले में रखे गयें 579 भौतिक लक्ष्य मे से मात्र 1317 भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाई है, जबकि वित्तीय लक्ष्य एवं पूर्ति पूरे 50.81 लाख रूपये ही है।

महिला उद्यमिता की समस्यायें

- देश का सामाजिक ढाँचा महिला उद्यमियों के प्रति कठोर, संवेदनहीन है।
- सामान्यतः महिलाओं में अपने आप निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है।
- भारतीय महिला उद्यमियों की प्रमुख समस्या भारतीय पुरूषों की दोहरी मानसिंकता है।
- पुरूष श्रमिको एवं कर्मचारियेां के साथ काम न कर पाना।
- महिला उद्यमी कभी–कभी नवीनतम तकनीक से पूर्णतः जानकारी नहीं ले पाती है जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है।
- भारत में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत पुरूष की तुलना में कम है शिक्षा के अभाव में वह तकनीकी ज्ञान एवं विपणन के सम्बन्ध में सजग नहीं रह पाती जिसका विपरीत प्रभाव उनके व्यवसाय के विकास पर पड़ता है।
- महिला उद्यमियों को सामान्यतः ऋण की प्राप्ति में अनेक कठिनाओं का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

औद्योगिक विकास के साथ–साथ यह बात देखी गई कि पूंजीपति इस बात के लिये बहुत उत्सुक थे कि शीघ्र ही अधिक लाभ हो, जिससे उन्होंने स्त्री, पुरुष तथा असहाय बच्चों तक को काम में लगा दिया।

रीवा जिले की उद्यमी महिलाओं का अध्ययन करने से यह पाया गया कि कई महिलायें भवन निर्माण तथा सड़क निर्माण के कार्य में लगी हैं और अधिक संख्या में एकल परिवार से हैं और 10 प्रतिशत महिला शिक्षित पाई गई और परिवारिक अध्ययन से पता चला कि परिवारिक और आर्थिक स्थिति निम्न है। इन्हें परिवार में बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इन महिलाओं का 18 वर्ष से कम आयु में ही विवाह हो जाता है, जिससे इनके बच्चे भी अधिक रहते हैं। जीवन के लिये भोजन के साथ–साथ वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की भी आवश्यकता पड़ती है। किन्तु इन महिला उद्यमियों की मासिक आय इतनी नहीं रहती कि जिससे कि ये अपना तथा अपने बच्चों का गुजारा अच्छे से कर पायें और उन्हें पुरुषों से कम मजदूरी भी दिया जाता है।

सुझाव

महिला उद्यमियों की स्थिति काफी खराब है। अतः यह देखते हुये सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये तथा उनके शारीरिक, आर्थिक व समाजिक शोषण को रोकने के लिये काननू को सक्त होना चाहिये और महिलाओ को शिक्षित करने के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये तथा पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिये तथा उन्हे उचित प्रशिक्षण तथा दिशा निर्देश दी जानी चाहिए। महिलाओं का शोषण करने वाले को दण्डित किया जाना चाहिय, ताकि उन्हें सबके मिल सके। महिलाओं को रोजगार हेतु विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने चाहिये, ताकि वे स्वावलम्बी बन सके तथा सबसे महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिये कि महिला उद्यमियों को भी पुरुषों के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए अर्थात् समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सक्सेना, एस.सी. (1992), 'श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा', रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड, मेरठ।
2. शर्मा, डॉ. एम.के. (2010), 'भारतीय समाज में नारी', पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।
3. आहुजा राम (2000), 'सामाजिक समस्यायें, रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
4. कुमार, मनीष; ''महिला सशक्तिकरण, दशा और दिशा'', मधुर बुक्स, दिल्ली 2006 पृश्ठ–33,
5. यादव, उत्तरा; ''ग्रामीण नारी परिवर्तन की ओर'', साहित्य संगम, इलाहाबाद 2004, पृश्ठ–16,

6. सिंह, अरूण कुमार सिंह, आशीष कुमार (2004) ''व्यक्तित्व का मापन'', तृतीय संशोधित संस्करण, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।
7. डॉ. मरवाह, सरूप सिंह (2011)शारीरिक और मानसिक तनाव क्यों होता है और कैसे बचे'' पुस्तक महल दिल्ली।
8. Ganshen, S.-Status of woman enterprises in India, Knaishka Publishing, New Delhi, pp-153-159.
9. Krishna, M.K (2003), Women Enter primary in Kerala, Ph.d. thesis, Mahatma Gandhi University Kerala. (2003)
10. Lal, Madhurima and Sahai Shikha, 2008, „Women in Family Business", Presented at first invitational conference on family business at Indian Xchool of Business, Hyderabad (2008)
11. Ushakiran V., Rajeshwari, Karunashree, M.V. (2012) „Business women and microenterprises", Zenith, International Journal of multidisciplinary Research, Vole. 2, Issue – 2, Feb 2012, PP-172-180.
12. Greene, Patrica G., Hart, Myra M, Brush, Candida G. & Carter, Nancy M. (2003) – „Women Entrepreneurs Moving Front and Center: An Overview of Research and Theory, White paper at limited states ,Association for small Business and Entrepreneurship.

❑❑❑